न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 58 / 2020

वादी :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. लक्ष्मीनारायण पुत्र लाबूराम जाति ब्राह्मण निवासी छितरीया तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थिति:—

1. श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांक – 11/12/2024

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू. अ.नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में वर्तमान खसरा संख्या 263 / 1 रकबा 1.5300 हैक्टर की कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त एवम् उपयोग उपभोग की स्थित है। उक्त आराजी भूमि वादी के पिता लाबूराम की खातेदारी हक हकूक की थी तथा उनके मृत्यु के बाद वादी लक्ष्मीनारायण स्व. लाबूराम जी के वारिस होकर काबिज काश्त होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज हुआ, यह त्रुटि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में चली आ रही है। वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लाबूराम है, न की लिखमाराम पुत्र श्री लाबूराम है। वादी के अन्य सभी दस्तावेज राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी व वांछित दस्तावेज में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र लाबूराम अंकित है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाना कानूनन सही आवश्यक तथा न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू. अ. नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत के खसरा संख्या 263 / 1 रकबा 1.5300 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी का नाम लिखमाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण के नाम से खातेदारी घोषणा करवाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि मौजा छितरिया में स्थित होना स्वीकार किया, पैरा सं0 02 से 03 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 08 कानूनी होना अंकित किया।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई—

01. आया वादी वादपत्र में वर्णित भूमि में दर्ज लिखमाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। जिम्मे वादी

02. अनुतोष।

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में वादी लक्ष्मीनारायण तथा अन्य गवाह राधाकृष्ण के बयान कलमबद्ध किये गये, सा0मि0 है, अन्य शहादत वादीगण पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी दिनांक 08.10.2024 को बन्द की गई। शहादत प्रति पेश नहीं करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने बाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पटवार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हल्का रून्दिया, भू. अ. नि.क्षेत्र अटपडा तहसील सोजत के खसरा संख्या 263/1 रकबा 1.5300 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी का नाम लिखमाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण के नाम से खातेदारी घोषणा करवाने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब महरा में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है –

01. आया वादी वादपत्र में वर्णित भूमि में दर्ज लिखमाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। जिम्मे वादी

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी में वादी लक्ष्मीनारायण तथा अन्य गवाह राधाकृष्ण के कलमबद्ध करवाये बयानात पी0डब्ल्यू 1 व 2 तथा वादी के अन्य दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 5049 6280 3157, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्कूल की टी0सी0 इत्यादि से वादी के वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण होने की संपुष्टि होती है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, जबाब दावा, दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहो के बयानात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय त्रुटिवश वादी का नाम लिखमाराम दर्ज हो गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण हैं। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा गवाहों के बयानों से वादी के वादी के वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण होने की संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लिखमाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पट्वार हल्का रून्दिया, भू. अ. नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत के खसरा संख्या 263/1 रकबा 1.5300 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड लिखमाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. लक्ष्मीनारायण पुत्र लाबूराम जाति ब्राह्मण निवासी छितरीया तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 58 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री सोहनलाल जोशी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू. अ. नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत के खसरा संख्या 263 / 1 रकबा 1.5300 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड लिखमाराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त' निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –　　　　मुबलिग –　　　　बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11/12/20 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा.	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.